वुड डिस्पैच (1854)

ब्रिटिश सरकार प्रत्येक 20 वर्ष बाद नया आज्ञापत्र जारी करती थी यह आज्ञापत्र 1763 ई से प्रारम्भ हुए तथा प्रत्येक 20 वर्ष के उपरान्त कुछ संशोधनों के साथ आदेश लागू किए जाते थे (ब्रिटिश पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृति के पश्चात)। इसी क्रम में 1854 के राजपत्र के लिए भी ब्रिटिश संसद में विचार किया गया तथा इस कार्य के लिए 1853 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने विषय पर गम्भीरता से विचार किया तथा 19 July 1854 में निर्देशक परीषद के समक्ष प्रस्तुत किया उस समय सर चार्ल्स वुड कम्पनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे अतः यह प्रतिवेदन वुड के घोषणापत्र के नाम से जाना जाता है। 100 अनुच्छेदों में लिखे गये वुड के विस्तृत घोषणापत्र में शिक्षा पर व्यापक विचार व अध्ययन किया गया उस नयी शिक्षा-नीति को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है →

i) शैक्षिक प्रशासन :-

a) शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी पर → इस नीति में कम्पनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व है

उन्होंने लगभग सभी प्रान्तों बंगाल, मद्रास, यू पी, बम्बई आदि में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाय

b) जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति → लोकशिक्षा विभाग में सर्वोच्च अधिकारी जनशिक्षा निदेशक की नियुक्ति की घोषणा की गई उसकी सहायता के लिए शिक्षा उपसंचालक निरीक्षकों और लिपिकों की नियुक्ति की संस्तुति की गयी वर्ष के अन्त में हर प्रान्त को अपने प्रान्त की शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट देने की भी घोषणा की गयी

ii) वित्तीय प्रबन्ध एवं सहायता अनुदान → इस घोषणा में सर्वप्रथम देशी व विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को बिना धार्मिक भेद-भाव के आर्थिक सहायता प्रदान करने की संस्तुति की गयी वुड ने भारतीय तथा मिशनरी सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया था इस आर्थिक सहायता को विभिन्न मदों, जैसे - भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षकों के वेतन और छात्रवृत्तियों आदि में देने का प्रावधान किया गया।

iii) शिक्षा का संगठन → ~~शिक्षा का संगठन~~

a) शिक्षा का संगठन स्तर - प्राथमिक विद्यालय, मिडल विद्यालय, हाईस्कूल, कालेज और

विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा के चार स्तरों को घोषणा की

b) विद्यालयों के क्रमिक श्रृंखला की स्थापना →
प्राइमरी, मिडिल, सेकेण्डरी, कॉलेज व यूनिवर्सिटी चौथे स्तर की श्रृंखला की घोषणा की।

iv) शिक्षा के उद्देश्य → बौद्धिक विकास करना और पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करना
→ भारतीयों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना
→ नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना
→ भारतीयों को राज्य सेवा हेतु एक सुयोग्य कर्मचारी के रूप में तैयार करना
→ भारतीय जनता को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से अंग्रेजी भाषा, साहित्य और विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा प्रदान करना

v) शिक्षा का पाठ्यक्रम →
→ प्राच्य भाषा तथा साहित्य को स्थान
→ पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को विशेष स्थान
→ धार्मिक शिक्षा की स्वतन्त्रता

vi) शिक्षण विधि तथा शिक्षा का माध्यम → शिक्षा का माध्यम प्राइमरी लेवल पर स्थानीय भाषा तथा उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है शिक्षण विधि - मौखिक, लिखित, तर्क - ज्ञान आदि

शिक्षक एवं छात्र-छात्र →

vi) शिक्षक एवं छात्र → वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों के स्तर को उठाने पर बल दिया जाय पहली बार शिक्षकों को मास्टर कहकर सम्बोधित किया गया शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने की बात कही गयी किसी भी स्तर व विद्यालय में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान किया गया

vi) व्यवसायिक शिक्षा → भारत में व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा
⇒ शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता व कार्यकुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दि जाएगी

vii) शिक्षक प्रशिक्षण →
→ भारत में शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की समुचित व्यवस्था की जाए
⇒ सामान्य शिक्षको, चिकित्सा, शिक्षको तथा विधि शिक्षको के लिए अलग-2 प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाय
⇒ प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान हो
⇒ प्रशिक्षित छात्रों अथवा शिक्षकों के रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाय

viii) मुस्लिम शिक्षा → मुसलमान बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी
⇒ मुस्लिम जनता में शिक्षा का प्रचार कर उन्हें विद्यालयों के प्रति आकर्षक किया जाएगा
⇒

ix) जनसामान्य की शिक्षा →
⇒ सभी स्तरों की शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया
⇒ निःशुल्क सिद्धान्त को अस्वीकृत करके शिक्षा सभी स्तर व वर्ग के व्यक्तियों हेतु सुलभ कि जाय
⇒ प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी ~~जनशिक्षा~~
⇒ जनशिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा
⇒ पाश्चात्य ज्ञान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा

x) स्त्री शिक्षा → बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान की जाएगी स्त्री शिक्षा में सहयोगी व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा

xi) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था → मेरिट व निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाओं की संतुति की गयी इस घोषणापत्र में छात्रवृत्तियों के माध्यम से जनशिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, गरीबों की शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया।

xii) विश्वविद्यालयी शिक्षा →
⇒ लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की संतुति की गयी
⇒ कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्ध कर उन्हें विश्वविद्यालय से ही मान्यता दी जाय
⇒ भारत में उच्च शिक्षा तथा शोध को बढ़ावा दिया जाय
⇒ समस्त विषयों के साथ ही विभिन्न भाषाओं जैसे - संस्कृत अरबी व फारसी की शिक्षा हेतु भी प्रोफेसरों की ~~संस्तुति~~ संस्तुती की गयी
⇒ इन विश्वविद्यालयों में चांसलर, vice चांसलर, व अन्य अनुभवी प्राध्यापकों को मिलाकर सिंडिकेट का गठन किया जाय
⇒ समस्त महाविद्यालयों को उत्तीर्णता का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय से ही प्राप्त होने का प्रावधान किया

गुण (Merits) →

a) भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है।
b) आधुनिक शिक्षा का शुभारम्भ
c) जन शिक्षा विभाग की स्थापना
d) शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार व कम्पनी पर
e) छात्रवृत्तियों का प्रावधान
f) सहायता अनुदान प्रणाली

g) स्त्री शिक्षा व जन शिक्षा प्रसार
h) शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तर पर
i) पाश्चात्य व देशी भाषाओं का विकास
j) निस्यंदन का सिद्धान्त को अस्वीकृति
k) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना
l) छात्रों को चारित्रिक व नैतिक विकास पर बल
m) विश्वविद्यालयों की स्थापना
n) मुसलमानों की शिक्षा पर बल
o) व्यवसायिक " " "
p) शिक्षक प्रशिक्षण व रोजगार
q) उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान

दोष (Demerits) :-

a) मैकाले की नीति का अप्रत्यक्ष रूप से अनुकरण
b) कम्पनी का एकाधिकार
c) अनुदान की कठोर शर्तें
d) उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी
e) धार्मिक व सहिष्णुता पर बल
f) नौकरियों में भेदभाव